

आवेदन की तिथि 10.5.14



आदेश की तिथि 10.5.14

निर्गत की तिथि 12.5.14

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर (धनबाद)

दाखिल खारीज मु० संख्या 2684 (III) 2013-14

आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
3.3.14	<p>आवेदक/आवेदिका/श्री/श्रीमती श्री० एलन निजात्री</p> <p>पिता/पति श्री० रामप्रसाद साकिम शांतिपुर जिला धनबाद ने नामान्तरण के लिए आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार</p> <p>आवेदक/आवेदिका मौजा श्री० सी० मौजा नं० 87 खाता नं० 50 प्लॉट नं० 1416 रकबा 05 बी० दलील नं० 242 दिनांक 20.6.12 द्वारा श्री/श्रीमती श्री० एलन निजात्री से प्राप्त किया। मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- 29.3.14 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति हासिल नहीं किया गया है। संबंधित 80 कर्म० एवं अ० निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार - आवेदित भूमि रैयती खाते की है। 2 पंजी II में विद्यमान की जमाबंदी संख्या 208 में विक्रेता/पूर्वज के नाम से कायम होकर सरकारी लगान रसीद निर्गत होती हैं। 3 विक्रेता जमाबंदी रैयत स्वयं/वारिशान हैं तथा अपना नीज अंश बिक्री किया है। 4 आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार है। 5 निबंधन धनबाद/कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है। अन्तर मुद्रांक की राशि कोषागार में जमा कर दलील को बैध कस लिया गया है। 6 प्रश्नगत भूमि गैर आबाद आम/खास/आदिवासी/भूदान/वनभूमि/बी०सी०सी०एल० अर्जित भूमि से बाहर है, तथा सी०एन०टी० की धारा-46(1), (2) से संबंधित नहीं है।</p> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित का दाखिल खारीज आवेदन को किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत कर हल्का कर्मचारी से दो दिनों में अनुपालन प्रतिवेदन मांगे।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर।</p>	
3.3.14	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित हल्का कर्मचारी से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है। तदनुसार पंजी-मे प्रविष्टी करे। अभिलेख की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>मरे द्वारा छायाप्रति कराया गया है। अभिप्रायित प्रतिलिपि</p> <p>अंचल अधिकारी गोविन्दपुर।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर।</p>	



अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर।

लिपिक
20/5/14

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर।

सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रेयतों) का नामांतरण [दाखिल स्वारीज] दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

जिला पानीपत अनुसूचक पानीपत सिकल/अंचल गोबिन्दपुर हल्का इस्टेट का नाम कारखेड

क्र. संख्या	पंजी संख्या २७ में नामांतरण केस संख्या	सांख	थाना और थाना संख्या	नामांतरण से सम्बन्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामांतरण मजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामांतरण किस कारण से होता है विक्री, दान, विनियम, उत्तराधिकार या बंटवारा हुआ है?	नामांतरण से प्रभावित विनियम का पूरा ब्योरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजी किस तारीख को शुद्ध की गई								
१	२	३	४	५	६	७	८	९								
	दाखिल स्वारीज मु.सं. 2684 (II) 2013-14	कुर्मीडीह	बलामाडा - 87	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>खानासं</td> <td>लाहसं</td> <td>कबा</td> <td>लाजान</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>1416</td> <td>05डी</td> <td>1.00 रु</td> </tr> </table>	खानासं	लाहसं	कबा	लाजान	50	1416	05डी	1.00 रु	<p style="text-align: center;">अंचल अधिकारी गोबिन्दपुर</p>	<p>कालास - 2242 दिनांक - 20-06-12</p>	<p>मूल रैयत बिजलीवाला काली जं.स-208 नया रैयत मौज हसन निजाभी पिता - मौज शमशुद्दीन साकिन - शमशुद्दीन आरिफ</p>	<p>कर्मचारी द्वारा हल्का पंजी किस तारीख को शुद्ध की गई</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> नामांतरण अधिकारी</p>
खानासं	लाहसं	कबा	लाजान													
50	1416	05डी	1.00 रु													

शापांक नं० दिनांक अंचलाधिकारी
हल्का संख्या आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जाती है अंचल

